झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 7वि॰शा॰/विविध–12–42/2019 ज॰सं॰– 58/19-20 प्र॰नि॰/राँची, दिनांक 23.10.19

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **जल संसाधन विभागान्तर्गत न्यायालय वाद/विवाचन वाद से संबंधित विभिन्न मामलों में नियुक्त विवाचक एवं पैरवी कर रहे अधिवक्ता के शुल्क, न्याय निर्णय के अनुपालन में वादी को भुगतान करने एवं अन्य विधि शुल्कों के भुगतान हेतु रूपये 25.00 लाख (पच्चीस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

1. जल संसाधन विभाग एक कार्य विभाग है जिसके अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न विवादों का निपटारा एकरारनामा के अनुसार आरबीट्रेटर ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाता है। इस हेतु वैधिक परामर्श प्राप्त किया जाता है एवं विभाग की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किये जाते हैं।

2. कतिपय मामलों में माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित करते हुए समय–सीमा निर्धारित कर Executing Court के पास राशि जमा करने का आदेश निर्गत किया जाता है, जिस हेतु ससमय आवंटन निर्गत करना आवश्यक होता है।

3. विभागान्तर्गत विवाचन वाद के मामलों में विवाचक एवं पैरवी कर रहे अधिवक्ता के शुल्क भुगतान तथा अन्य विधि शुल्कों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू॰ 25.00 लाख (पच्चीस लाख रूपये) मात्र का संभावित व्यय है।

4. जल संसाधन विभागान्तर्गत न्यायालय वाद/विवाचन वाद से संबंधित विभिन्न मामलों में नियुक्त विवाचक एवं पैरवी कर रहे अधिवक्ता के शुल्क, न्याय निर्णय के अनुपालन में वादी को भुगतान करने एवं अन्य विधिक शुल्कों के भुगतान हेतु रूपये 25.00 लाख (पच्चीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. उक्त कार्यों पर होने वाला व्यय मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय, उप शीर्ष–75–सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय अंतर्गत रू॰ 25.00 लाख (पच्चीस लाख रूपये) भारित किया जायगा।

6. कंडिका 5 में उल्लेखित मद में वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु रूपये 3300.00 लाख का बजटीय उपबंध है।

7. विचाराधीन कार्य योजना से संबंधित प्रमडल के कार्यपालक अभियंता इस कार्य के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा संबंधित प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

8. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

9. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं॰–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

11. राज्यादेश के प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

23.10.19

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :– 7वि॰शा॰/विविध–12–42/2019 ज०सं०– 58/19-20 प्र०स्वी०/राँची, दिनांक 23-10-19

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/अपर मुख्य सचिव, योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.10.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 7वि॰शा॰/विविध–12–42/2019 ज०सं०– 58/19-20 प्र०स्वी०/राँची, दिनांक 23.10.19

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.10.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 7वि॰शा॰/विविध–12–42/2019 ज०सं०– 58/19-20 प्र०स्वी०/राँची, दिनांक 23.10.19

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/अभियंता प्रमुख–I & II/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.10.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 7वि॰शा॰/विविध–12–42/2019 ज०सं०– 58/19-20 प्र०स्वी०/राँची, दिनांक 23.10.19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता (मो०), राँची/सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/संबंधित प्रमडल के कार्यपालक अभियंता इस कार्य के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.10.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 7वि॰शा॰/विविध–12–42/2019 ज०सं०– 58/19-20 प्र०स्वी०/राँची, दिनांक 23.10.19

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

23.10.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव